न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
18 / 2016 प्रा.पत्र / 2016	11.02.2016	21.03.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन जाति महाजन निवासी पुलिस थाने के सामने निवाई जिला टोंक मैसर्स राजेन्द्र कुमार अशोक कुमार झिलाई रोड मोक्ष धाम के सामने निवाई जिला टोंक

2–मैसर्स राजेन्द्र कुमार अशोक कुमार झिलाई रोड मोक्ष धाम के सामने निवाई जिला टोंक

3–श्री दिनेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री राधाकिशन खण्डेलवाल प्रोपरायटर मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी श्री दामोदर गौशाला के सामने निवाई जिला टोंक

4–मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी श्री दामोदर गौशाला के सामने निवाई जिला टोंक

5–श्री राकेश चन्द्र जौहरी पुत्र श्री नरेश चन्द सक्सेना निवासी 1434 चाणक्य मार्ग सुभाष चौक जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स साक्षी सेल्स 1140, चाणक्य मार्ग सुभाष चौक जयपुर राज.।

6–मैसर्स साक्षी सेल्स 1140, चाणक्य मार्ग सुभाष चौक जयपुर राज.।

7–श्री योगेश चन्द्र जौहरी प्रोपरायटर मैसर्स साक्षी स्पाईसेस 1140, चाणक्य मार्ग सुभाष चौक जयपुर राज.।

8–मैसर्स साक्षी स्पाईसेस 1140, चाणक्य मार्ग सुभाष चौक जयपुर राज.।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 ता 4 श्री विक्रम जैन एवं श्री रोमेन्द्र गुर्जर उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 21/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.09.2015 को समय 01:30 पी.एम. पर मैसर्स राजेन्द्र कुमार अशोक कुमार झिलाई रोड मोक्ष धाम के सामने निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान मैसर्स राजेन्द्र कुमार अशोक कुमार झिलाई रोड मोक्ष धाम के सामने निवाई जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

चन्द जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु गुड, तेल, घी आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में प्रत्येक 500 ग्राम पैक के लगभग 25 पैकेट पैक्ड अवस्था में **धनिया पावडर (साक्षी ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **धनिया पावडर (साक्षी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 6.15 एवं पैकिंग की दिनांक 06.05.2015 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 500 ग्राम पैक के 4 पैकेट खरीदा, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (साक्षी ब्राण्ड)** 500 ग्राम पैक के लगभग 4 पैकेट में से एक–एक पैकेट के नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1097 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1097 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी श्री दामोदर गौशाला के सामने निवाई जिला टोंक का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स खण्डेलवाल सेल्स एजेन्सी से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स साक्षी सेल्स 1140, चाणक्य मार्ग सुभाष चौक जयपुर का एवं मैसर्स साक्षी सेल्स ने बतौर वारन्टी मैसर्स साक्षी स्पाईसेस 1140, चाणक्य मार्ग सुभाष चौक जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/15/4682 दिनांक 03.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/671/एक्ट/2015/889 दिनांक 27.11.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (साक्षी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** एवं **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन एवं श्री रोमेन्द्र गुर्जर उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र उक्त नमूने में हल्दी पावडर का अंश पाए जाने से उक्त नमूना मिथ्याछाप व अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें। अप्रार्थी सं. 5 ता 8 दिनांक 12.05.2017 के बाद से अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी सं. 5 ता 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (साक्षी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** एवं **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **धनिया पावडर (साक्षी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Misbranded)** एवं **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

दिया गया दिनांक 2/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक–राज0